BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION No.-343/2022

Shani Pratap Singh ....Applicant

Versus

State of U.P. & Others ....Respondents

INDEX

S. No.	Description	Page No.
1.	Application for taking Supplementary affidavit on record.	1
2.	Supplementary Affidavit.	2-7
3.	**Annexure No.SA-1** True copies of the Google Earth Map showing the distance of the different places from the Pradhan Brick field.	8-14
4.	**Annexure No.SA-2** True copy of the U.P. Brick Kiln (sitting criteria for establishment) Rules 2012.	15-17
5.	**Annexure No.SA-3** True copies of the affidavits of the family members of the deceased person.	18-29
6.	**Annexure No.SA-4** True copies of the affidavits of Vishwajeet Singh and Virendra Singh (collectively).	30-33
7.	**Annexure No.SA-5** True copy of the Jan Sunwai complaint dated 02.02.2023.	34-38
8.	Identity proof	39

LUCKNOW

DATED: 10/02/ 2023

S.P.Singh

(SHANI PRATAP SINGH)
ADVOCATE /APPLICANT
Mobile;9455956147
Email; shanipratap123@gmail.com

①

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Misc Application ..../2023

ORIGINAL APPLICATION No.-343/2022

Shani Pratap Singh ....Applicant

Versus

State of U.P. & Others ....Respondents

APPLICATION FOR SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT TAKEING ON RECORD

The applicant/petitioner most respectfully showeth as under:

That for the facts and circumstances stated in the accompanying Supplementary Affidavit, it is expedient and necessary in the interest of justice that the same may kindly be taken on record.

WHEREFORE, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Court may graciously be pleased to take the Supplementary affidavit on record. Such other orders which this Hon'ble Court may deem just and proper may also be passed.

S.P.Singh

LUCKNOW
DATED: 10/02/ 2023

(SHANI PRATAP SINGH)
ADVOCATE /APPLICANT

(2)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No.-343/2022

NOTARY N. H. KHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. No. 3737/06 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

Shani Pratap Singh ....Applicant

Versus

State of U.P. & Others ....Respondents

SUPPLEMENTARY AFFIDAVIT

I, Shani Pratap Singh, aged about 34 years, son of Shri Subhas Singh, Resident of 76 Awadhpuri Khand-2 Khargapur, Gomtinagar, Lucknow-226010, do hereby solemnly affirm on oath as under:-

1. That the deponent is the Applicant himself in the above noted case and is well conversant with the facts and circumstances of the case.

2. That the applicant via complaint dated 16.03.2022 which was registered by post have raised grievance for necessary action to secure human life and cancellation of permit of Pradhan Brick Field (PBF) of proprietor Mr. Rajesh Kumar Verma causing severe health injuries to inhabitants.

3. That it is relevant to point out here that there are 4 Schools situated within the distance of 1 Km from the Pradhan Brick Field i.e. trade name (registerd Name is Ram

NOTARY N. H. KHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. No. 3737/06 GOVT. OF INDIA
10/2/23

S P Singh

(3)

Shankar Brick field). The details of the same is given in Chart Below below for the kind perusal of Hon'ble Tribunal-

Sl. No.	Name Of School	Distance From the Pradhan Brick Field
1.	Primary School Jaskapur	453 Meter
2.	Primary School, Maroofpur	726 Meter
3.	Middle School, Maroofpur	726 Meter
4.	Primary School Tejwapur	994 Meter

It is further submitted that the aforesaid schools were constructed prior to establishment of the Pradhan Brickfield and Pradhan Brickfield was established and in operation against the provisions of the U.P. Brick Klin (Sitting Criteria For Establishment) Rules 2012.

4. That there is specific provision under Rule 2 of the U.P. Brick Kiln Sitting Criteria For Establishment Rules 2012 that brick kiln can't be established within 1 km from the schools.

5. That it is imperative to mention here that the Pradhan Brickfield (registered Name is Ram Shankar Brick field) is situated with in the proximity of just 450 meters of the Village Baddapur having the population of more than 750.

NOTARY N. H. KHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. No. 37/7/06 GOVT. OF INDIA

6. That it is further submitted that village Jaskapur is situated at the distance of 600 Meters having the

LPSingh

(4)

population of 500 from Pradhan Brickfield (registered Name is Ram Shankar Brick field) .

7. That the village of the applicant Maroofpur is situated at the distance of 800 Meters from Pradhan Brickfield having the population of about more 1200.

8. That the Village Manikpurwa is situated at the distance of 950 Metrs from the Pradhan Brickfield having the population of about 700.

9. That the village Tejwapur is situated at the distance of the 775 meters from Pradhan Brickfield (registered Name is Ram Shankar Brick field) having the population of more than 2000. The aforesaid arial distance has been taken with the help of google earth which is correct and reliable. True Copies of the Googles Maps showing distance mentioned in Paragraphs 3 to 9 are respectively and collectively annexed here as **ANNEXURE NO. SA.-1** to this affidavit.

10. That in view of U.P. Brick Kiln Sitting Criteria for Establishment Rules ,2012 the establishment as well as operation of the Pradhan Brickfield is arbitrary and illegal and NOC/Consent issued by the concerned departments are also illegal and against the norms, which shows that how the officials/opposite parties are playing with life of thousands of the innocent people. True Copy of the U.P. Brick Kiln (Sitting Criteria for Establishment) Rules ,2012

NOTARY N. H. KHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. No. 317/06 GOVT. OF INDIA

S.P. Singh

(5)

is being annexed here as **ANNEXURE NO. SA.-2** to this affidavit.

11. That in original application the details of people died from cancer have been given .In support of the aforesaid facts the applicant most humbly submitting the affidavits of the some family members of the persons who were died due to cancer caused by pollution from brickkilns operating in violation of environmental norms and rules. The copies of affidavits (along with type copies) of the family members of some deceased person are being annexed as **ANNEXURE NO. SA.-3** collectively to this affidavit.

12. That it is most respectfully submitted that stated that there are several garden/orchard are situated in close proximity of the Pradhan Brick Field. The distance of the one such mango orchard of Mr. Vishwajeet Singh and Mr. Veerendra Bahadur Singh is 200 meter from Pradhan Brick Field. The pollution caused by the Brickfields are adversely affecting the production of mangos in their orchard. Their grievances are attached here as **ANNEXURE NO. SA.-4** in the form of affidavits for the perusal of the Hon'ble Tribunal.

13. That, the opposite party no.4 is very influential and powerful person and also the Pradhan of Gram Sabha Maroofpur and with the help of his musclemen harassing the residents of the nearby villages. He is also involve in illegal mining .One of the residents of village Marufpur Mr. Shivsharan Misra has raised the grievance of encroachment

NOTARY
N. H. KHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn. No. 6717/06
GOVT. OF INDIA
10/2/23

S.P. Singh

(6)

of 3.5metre chakroad to District Magistrate, Barabanki but no action has been taken till date. The Chakroad is public utility land which is encroached by mining of sand for brick Kiln. The above grievance has also been raised on Jansunwayi portal (Jansunwai portal No.- 40017621020218). The Copy of Complaint dated 02/02/2023 is being annexed as **ANNEXURE NO. SA.-5** to this affidavit.

14. That, due to negligence of Brick kiln owner, citizens right to breathe clean air has been curtailed .There are serious violations of environmental norms in permitting the operation of brick kiln. That, air quality norms are violated and there is no effective monitoring mechanism against such violations.

15. That in view of the aforesaid facts it is humbly prayed that the operation of the Pradhan Brick Field i.e. trade name (registerd Name is Ram Shankar Brick field) may kindly be stopped as interim measure otherwise the petitioner and residents of nearby villages will suffer from irreparable loss and injury.

NOTARY N. H. KHAN Civil Court Lucknow (U.P.) Regn. No. 173/06 GOVT. OF INDIA

LUCKNOW

DATED: 10/2/ 2023

S.P. Singh
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent named above, do hereby verify that the contents of paragraph 1 to 15 of this affidavit are true to my

(7)

personal knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed in it, so help me God.

LUCKNOW NOTARY

DATED: 10|2| 2023

DEPONENT

I identify the deponent on the basis of records which the deponent produced before me and who has signed this affidavit after understanding its contents.

Advocate

NOTARY
N. H. KHAN
Civil Court
Lucknow (U.P.)
Regn. No. 3737/06
GOVT. OF INDIA
10/2/23

Sworn and Verified
Before me
10/2/23
NOORUL HASNAIN KHAN
Advocate & Notary
Civil Court, Lucknow
Registration No. 3737/06

ANNEXURE NO. SA-1

(8)

2/8/23, 10:09 PM

Google Earth

https://earth.google.com/web/@26.67960917,81.31592482,110.32854959a,2033.77779048d,35y,0h,0t,0r

1/1

Distance of Manikpurwa from the Pradhan Brickfield

[signature]

(9)

Distance of Jaskapur from the Pradhan Brickfield

S.P. Singh

(10)

2/8/23, 10:04 PM

Google Earth

https://earth.google.com/web/@26.68020864,81.31482299,110.52110887a,2579.32544906d,35y,0h,0t,0r

1/1

Distance of Maroofpur from the Pradhan Brickfield

[signature]

(11)

2/8/23, 8:55 PM

Google Earth

Distance of Baddapur from the Pradhan Brickfield

https://earth.google.com/web/@26.6734926,81.30923325,110.1654238a,1065.16171582d,35y,0h,0t,0r

1/1

(12)

2/8/23, 8:45 PM

Google Earth

https://earth.google.com/web/@26.67640109,81.31440109,111.63398806a,1142.44093116d,35y,0h,0t,0r

1/1

Distance of Primary School Jaskapur from The Pradhan Brickfield

[signature]

(13)

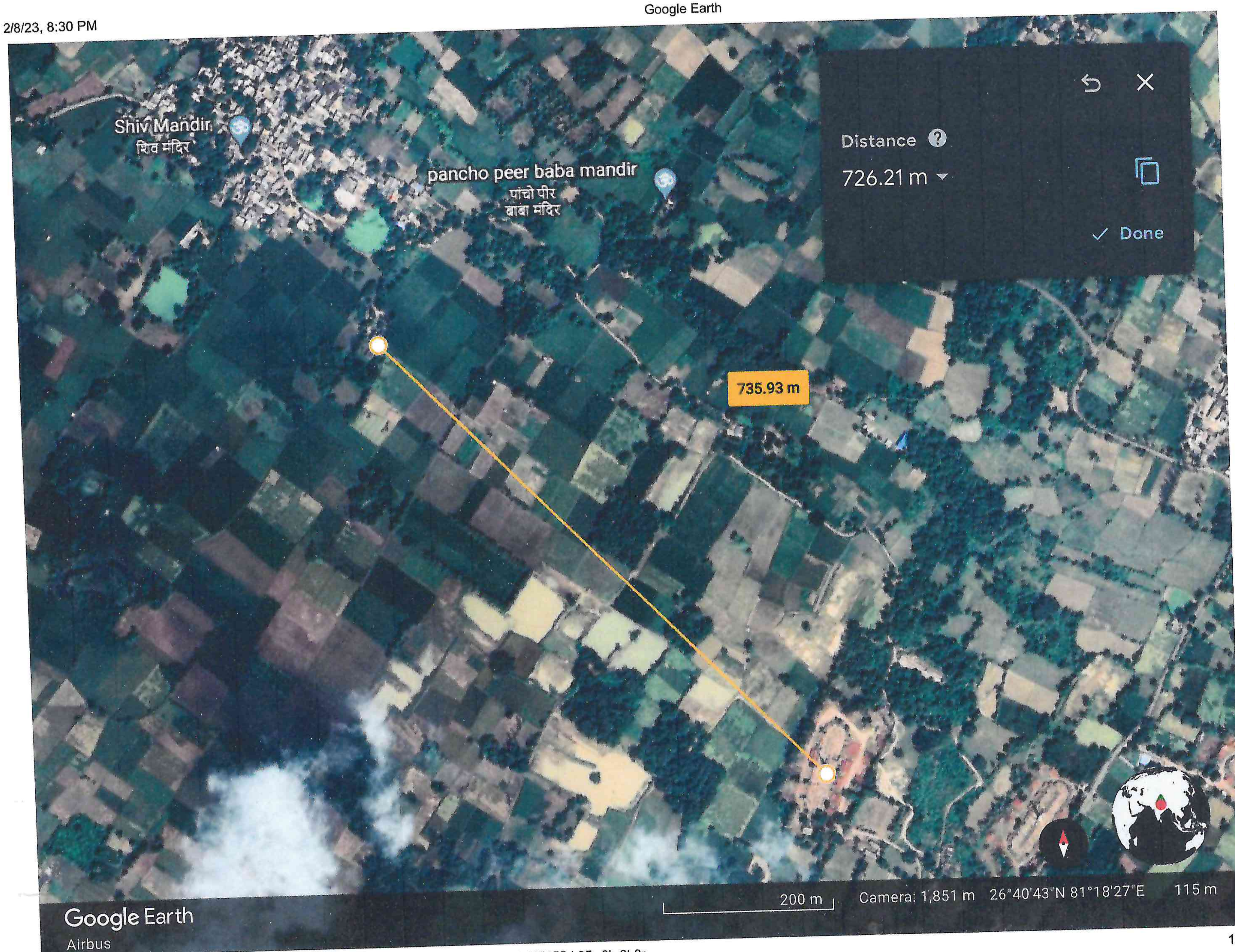

Distance of Primary School And Middle School Maroofpur from The Pradhan Brickfield

S.P.Singh

(14)

Distance of Primary School Tejwapur from The Pradhan Brickfield

ANNEXURE NO. SA-2

(15)

क्रम-सं०-120

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०-
डब्लू० / एन०पी०-91 / 2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 जून, 2012

आषाढ़ 6, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग

संख्या 921/55-पर्या./12-94(पर्या)-11

लखनऊ, 27 जून, 2012

अधिसूचना

सा०प०नि०-20

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1981) की धारा 21 की उप धारा (1) और उक्त धारा की उप धारा 2 के खण्ड (ध) के साथ पठित धारा 54 की उप धारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य में नये ईंट भट्ठों की स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 कही जाएगी। *संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ*

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिरहित अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 1985) के उपबन्धों के अधीन ऐसा कोई ईंट भट्ठा स्थापित नहीं किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:- *[illegible] क्षेत्र/जनसंख्या/संवेदनशील क्षेत्र/आम अथवा फलदार बागों से दूरी*

(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100—150 व्यक्तियों की हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हो, से अधिक हो।

[signature]

(दो) कोई ईट भट्ठा रजिस्टर्ड चिकित्सालय, स्कूल सार्वजनिक इमारत, धार्मिक स्थानों अथवा किसी ऐसे स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी स्थान पर स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई ईट भट्ठा प्राणी उद्यान, वन्य जीव अभयारण्यों, ऐतिहासिक इमारतें, म्यूजियम और इनके सादृश्य अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में 5.0 किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

परन्तु ताज ट्रेपेजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र के मामले में समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन लागू होंगे—

(तीन) कोई ईट भट्ठा रेलवे ट्रैक के किनारों से 200 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(चार) कोई ईट भट्ठा राष्ट्रीय एवं राज्य राज मार्ग के दोनों किनारों से 300 मीटर दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(पाँच) कोई ईट भट्ठा किसी मुख्य जिला सड़क/लोक निर्माण विभाग सड़कों के दोनों किनारों से 100 मीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(छः) कोई ईट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा;

(सात) किसी अधिसूचित फलपट्टी क्षेत्र के बफर जोन में कोई भट्ठा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जैसा कि उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद अधिष्ठान और आवास योजना विनियमन) अधिनियम, 1985 में परिभाषित है, और संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है या वाद दर वाद, यदि कोई, में न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया गया हो।

आम के बगीचे/मिश्रित फलों (आम और अन्य) बगीचों (जिसमें कम से कम 100 फलदार वृक्ष हों) संयुक्त नर्सरी के किनारे से ईंट भट्ठा से दूरियां प्रत्येक दशा में 800 मीटर से कम नहीं होगी। उल्लिखित दूरियां फल के प्रकार जिसका एकल अथवा सामूहिक क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से कम न हो, से निरपेक्ष रूप से लागू होगी।

दूरी का मापन ईट भट्ठा की चिमनी से लेकर भट्ठा की ओर पड़ने वाली आम/फलदार बगीचे के वृक्षों की प्रथम/निकटतम पंक्ति तक किया जायेगा।

ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु अनुमति

3—ईट भट्ठा की फुकाई के सम्बन्ध में अथवा खनन पट्टा के लिए जिला पंचायत/सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुज्ञप्ति तब तक नहीं प्रदान की जायेगी, जब तक कि राज्य बोर्ड द्वारा जारी की गयी विधिमान्य पूर्व सहमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) ईट भट्ठा के स्वामी द्वारा प्राप्त न कर ली गयी हो।

उत्सर्जन मानक

4—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम0ओ0ईएफ) द्वारा ईट भट्ठों के लिये यथा अधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या जी एस0 आर0 543 (ई) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसूची I में क्रम संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।

ईंट भट्ठे में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियां

5—इस नियमावली के अधीन स्थापित ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में निम्नलिखित सामग्रियां प्रयोग की जा सकेंगी—

(क) स्थानीय कृषि औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कपास का डण्ठल, सरसों का डण्ठल आदि को कोयले के स्थान पर आन्तरिक ईंधन के रूप में;

(ख) गैर परिसंकटमय अपशिष्ट जैसे—पत्थर, धूल, चावल की भूसी की राख, रेड मड आदि को ऊपरी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा।

(ग) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जैसा लागू हो के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में ईंटों की पथाई में फ्लाई एश:

परन्तु स्पेण्ट आर्गेनिक, साल्वेंट तैलीय अवशेष, पेट कोक, फिल्टर प्रेस केक (परिसंकटमय अपशिष्ट) इत्यादि और अन्य अपशिष्ट यथा प्लास्टिक रबड़, चमड़ा का ईट भट्ठा में ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा।

S. Singh

(17)

6–(1) ईट भट्ठे की परिधि के किनारे, सामग्री और वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए चहारदीवारी में दो 10 मीटर की चौड़ी जगह छोड़ते हुए बहुसतही और बहुमंजिला 10 मीटर चौड़ी हरित पट्टी का निर्माण किया जायेगा। तात्कालिक धूल उत्सर्जन रोकने के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की एक दीवार का निर्माण किनारों पर किया जायेगा जहां हरित पेटी विकास के लिए भूमि उपलब्ध न हो। हरित पेटी विकास के साथ ईट भट्ठा लगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल 2.0 एकड़ है। ईट भट्ठे स्वत्वधारी के कर्त्तव्य

(2) तड़ित हमले के कारण भट्ठे/चिमनी की क्षति को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के मानकों अथवा किसी अन्य अभिकल्पना मानक के अनुसार तड़ित अवरोधक ईट भट्ठा के लिए स्थापित किया जायेगा।

(3) ईट भट्ठा में उपरोक्त के अतिरिक्त समुचित रख–रखाव प्रक्रिया जिसमें कोयले की राख का निस्तारण, भट्ठा के चारों ओर दोहरी दीवार, समुचित लेआउट, ईटों द्वारा मार्ग आच्छादन, उचित ग्रेड के कोयले का प्रयोग, समुचित फायरिंग प्रक्रिया, ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षा तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं, ईट भट्ठे के स्वामियों द्वारा अपनायी जानी चाहिये।

(4) ईटों की पथाई के लिये एतदर्थ चिन्हित क्षेत्र में मिट्टी की खुदाई करते समय भूमि की खड़ी कटाई न की जाय अपितु ढालदार रीति में 1:3 के अनुपात में की जानी चाहिये जिससे कि कृषि भूमि का क्षरण न्यूनतम हो।

7–कोई व्यक्ति जो कि ईट भट्ठों का प्रचालन करना चाहता है, वह ईट भट्ठे के प्रचालन हेतु अनुमति के लिये उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियम, 1983 और उत्तर प्रदेश जल (मल और व्यवसायिक बहिःस्राव निस्तारण के लिए सहमति) नियमावली, 1981 के अधीन जिला प्रशासन से खनन पट्टा, जिला पंचायत/जिला परिषद से फुंकाई की अनुमति और उद्यान विभाग से, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करते हुए निर्धारित फीस के साथ राज्य बोर्ड को अलग से आवेदन करेंगे। ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर राज्य बोर्ड उपर्युक्त नियमावलियों के अधीन यथा विहित आवश्यक जांच के उपरान्त ऐसी अनुमति को अस्वीकृत कर सकता है: ईट भट्ठा की प्रचालन हेतु अनुमति

परन्तु यह कि, कोई ईट भट्ठा, जो पूर्व में स्थापित/प्रचालन में था किन्तु विगत सत्र में प्रचालन में नहीं था, प्रचालन करना या नाम/स्वामित्व परिवर्तन करना चाहता है और उसके पास वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन विधिमान्य अनुमति है, उसे प्रचालित कर सकता है यदि वह लिखित में राज्य बोर्ड को सूचित करता है किन्तु वह सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा जिनके अध्यधीन अनुमति प्रदान की गई थी।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-11, dated June 27, 2012:

No. 921/55-पर्या/12–94 (पर्या)-2011
Dated Lucknow, June 27, 2012

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 54 *read* with clause (z) of sub-section (2) of the said section and sub-section (1) of section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution)

S Singh

ANNEXURE NO. SA-3

(19)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AE 012550

समक्ष :- श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय

NOTARY
Teh Haidergarh
Barabanki

शपथ-पत्र

मैं शपथी सुशील वर्मा पुत्र शिवकरन वर्मा ग्राम व पोस्ट मोहम्मदपुर (माऊकपुर) तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उ०प्र० का हूँ सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ—

धारा 1:- यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है।

धारा 2:- यह कि शपथी की माँ पुष्पा देवी पत्नी शिवकरन की मृत्यु दिनांक लगभग 1 वर्ष पूर्व कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा 3:- यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी
दिनांक 03-02-23

शपथी
सुशीलकुमार

सत्यापन

मैं शपथी सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की धारा 1 ता 3 तक किये गये कथन सत्य व सही हैं आज दिनांक 03-02-2023 को तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में हस्ताक्षर / नि० अंगूठा लगाकर शपथ-पत्र को सत्यापित किया गया।

बाराबंकी
दिनांक 03-02-23

शपथी
सुशीलकुमार

03-02-23

NOTARY
Ram pratap Singh
Teh. Haidergarh
D. Barabanki
Reg. No. 57/4365/014
GOVT. OF UP

19

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ–पत्र

मै शपथी सुशील वर्मा पुत्र शिवकरन वर्मा ग्राम[illegible]/पोस्ट मोहम्मदपुर तहसील हैदरगढ़ जनपद– बाराबंकी उ0 प्र0 का हूं सशपथपूर्वक बयान करता हूं–

धारा– यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है

धारा–2 यह कि शपथी की माँ पुष्पा देवी पत्नी शिवकरन की मृत्यु दिनांक लगभग 1 वर्ष पूर्व कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा–3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी शपथी

दिनांक 03–02–23 ह0 सुशील कुमार

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ–पत्र की धारा 1 से 3 तक किये गये कथन सत्य व सही है। आज दिनांक 03–02–23 को तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में हस्ताक्षर / नि0अं0 बनाकर शपथ–पत्र को सत्यापित किया गया।

बाराबंकी शपथी

दिनांक 03–02–23 ह0 सुशील कुमार

NOTARY
Ram pratap Singh
Teh. Haidergarh
District Barabanki

S P Singh

(20)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES 10

FIVE RUPEES NOTARIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELED

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

समक्ष :- श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AE 012551

NOTARY
Teh Haidergarh
Barabanki

शपथ पत्र

मैं शपथी नरेश पुत्र पूर्णमासी निवासी जमकापुर पोस्ट तेजवापुर तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उ०प्र० का निवासी है सशपथपूर्वक बयान करता हूँ-

धारा 1:- यह कि शपथी उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है।

धारा 2:- यह कि शपथी के भाई फुल्ती लाल पुत्र पूर्णमासी की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व ब्लड कैंसर से होगयी है।

धारा 3:- यह कि शपथी के द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी में सत्य व सही है।

शपथी

बाराबंकी
दिनांक 03-02-23

नरेश

सत्यापन

मैं शपथी सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ-पत्र की धारा 1 से 3 तक किये गये कथन सत्य व सही है आज दिनांक 03-02-2023 को तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में हस्ताक्षर/नि० अं० बनाकर शपथपत्र को सत्यापित किया गया।

NOTARY ... GOVT. OF UP

बाराबंकी
दिनांक 03-02-23

हस्ताक्षर/प्रमाणित
03-02-23

शपथी
नरेश

(21)

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ–पत्र

मै शपथी नरेश पुत्र पूर्णमासी निवासी जसकापुर पोस्ट –तेजवापुर तहसील– हैदरगढ़ जनपद– बाराबंकी उ0 प्र0 का निवासी है सशपथपूर्वक बयान करता हूं–

धारा– यह कि शपथी उपरोक्त पते का निवासी है

धारा–2 यह कि शपथी के भाई पुत्ती लाल पुत्र पूर्णमासी की मृत्यु लगभग 2 वर्ष पूर्व ब्लड कैंसर से हो गयी है।

धारा–3 यह कि शपथी के द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी मे सत्य व सही है।

बाराबंकी शपथी

दिनांक 03–02–23 ह0 नरेश

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ–पत्र की धारा 1 से 3 तक किये गये कथन सत्य व सही है। आज दिनांक 03–02–23 को तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में हस्ताक्षर / नि0अं0 बनाकर शपथ–पत्र को सत्यापित किया गया।

बाराबंकी शपथी

दिनांक 03–02–23 ह0 नरेश

NOTARY
Ram pratap singh
Teh. Haidergarh
District Barabanki
Reg. No.67(43)/2014
GOVT OF UP

S.P.Singh

(22)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

NOTARIAL FIVE RUPEES NOTARIAL FIVE RUPEES CANCELLED

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

समक्ष: श्री मा० सक्षम अधिकारी महोदय

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AE 012203

NOTARY Teh Haidergarh Barabanki

शपथपत्र

मैं शपथी जगदेव वर्मा पुत्र राम सरन वर्मा उर्फ लौंडे वर्मा निवासी ग्राम मजरे तेजवापुर पो० तेजवापुर तहसील हैदरगढ़ उ०प्र० का हूँ सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

धारा-1 यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।

धारा-2 यह कि शपथी के भाई जगदीश वर्मा पुत्र राम सरन वर्मा उर्फ लौंडे वर्मा की मृत्यु लगभग 3 वर्ष पहले कैंसर के कारण हो गई है।

धारा 3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी
दिनांक-03-02-2023

शपथी

शपथी
जगदेव

सत्यापन
मैं शपथी स्वयं सत्यापित करता हूँ कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। जिसका सत्यापन दिनांक 03-02-2023 को कचहरी हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में किया गया है।

जगदेव

NOTARY Ram pratap Singh Teh. Haidergarh/ District Barabanki Reg. No. [illegible] GOVT. OF U.P.

Identified
[signature]
03-02-2023

(23)

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ-पत्र

मै शपथी जगदेव वर्मा पुत्र राम सरन वर्मा उर्फ ढोण्डे वर्मा नि0 बदआपुर मजरे तेजवापुर पो0 तेजवापुर तहसील हैदरगढ़ उ0 प्र0 का हूं सशपथपूर्वक बयान करता हूं-

धारा- यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है

धारा-2 यह कि शपथी के भाई जगदीश वर्मा पुत्र राम सरन वर्मा उर्फ ढोण्डे वर्मा की मृत्यु लगभग 3 वर्ष पहले ब्लड कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा-3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी शपथी

दिनांक 03-02-2023 ह0 जगदेव

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता है कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। जिसका सत्यापन दिनांक 03-02-2023 को कचेहरी हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में किया गया है।

NOTARY
Ram pratap Singh
Teh. Haidergarh
D. Distt. Barabanki
Reg. No. 87/
GOVT. OF U.P.

शपथी

ह0 जगदेव

S.P. Singh

(24)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELLED

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AE 012202

NOTARY Teh Haidergarh Barabanki

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय

शपथ पत्र

मैं शपथी लक्ष्मी प्रसाद पुत्र उमापति यादव नि० ग्राम मानपुर पो० मोहम्मदपुर तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उ०प्र० का हूँ सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ।

धारा-1 यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।

धारा-2 यह कि शपथी की माता जनक दुलारी पत्नी उमापति यादव की मृत्यु लगभग 4 वर्ष पहले ब्लड कैंसर के कारण हो गई है।

धारा-3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

साक्षी

दिनांक 04.02.2023

शपथी

सत्यापन

मैं शपथी स्वयं सत्यापित करता हूँ कि धारा 1 ता 3 में दी गई जानकारी सत्य व सही है। लिखित सत्यापन दिनांक 04-02-2023 को हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी में

शपथी लक्ष्मीप्रसाद

लक्ष्मीप्रसाद

हू० प्रमाणित

4/02/2023

NOTARY Ram Pratap Singh Teh. Haidergarh D. Barabanki Reg. No. 57(43)/2014 GOVT. OF UP

25

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ–पत्र

मै शपथी लक्ष्मी प्रसाद पुत्र उमापति यादव नि0 ग्राम मारूफपुर पो0 मोहम्मदपुर तहसील– हैदरगढ़ जनपद–बाराबंकी उ0 प्र0 का हूं सशपथ पूर्वक बयान करता हूं–

धारा– यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है

धारा–2 यह कि शपथी की माता जनक दुलारी पत्नी उमापति यादव की मृत्यु लगभग 4 वर्ष पहले ब्लड कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा–3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी — शपथी

दिनांक 04–02–2023 — ह0 लक्ष्मी प्रसाद

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता है कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। जिसका सत्यापन दिनांक 04–02–2023 को कचेहरी हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में किया गया।

शपथी

ह0 लक्ष्मी प्रसाद

NOTARY Ram pratap Singh Teh Haidergarh District Barabanki Reg. No. GOVT OF UP

Singh

(26)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10 TEN RUPEES Rs.10

NOTARIAL FIVE RUPEES NOTARIAL FIVE RUPEES CANCELED

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

समक्ष : श्रीमान उप जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AE 012201

शपथ पत्र

NOTARY Teh Haidergarh Barabanki

मैं शपथी रविन्द्र सिंह पुत्र स्व जय सिंह नि० ग्राम माफपुर पो० मोहम्मदपुर त० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उ०प्र० का हूँ शपथ पूर्वक बयान करता हूँ।

धारा-1 यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।

धारा-2 यह कि शपथी की माता कुंवरवती पत्नी स्व जय सिंह की मृत्यु 09-03-2022 को ब्लड कैंसर के कारण हो गई है।

धारा-3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है। बाराबंकी

दिनांक 0-3-02-2023

शपथी

रवीन्द्र सिंह

सत्यापन

मैं शपथी स्वयं सत्यापित करता हूँ कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है जिसका सत्यापन दिनांक 03-02-2023 को कचेहरी हैदरगढ़ में किया गया है।

रवीन्द्र सिंह

शपथी

NOTARY Ram pratap Singh Teh. Haidergarh D.Strict Barabanki Reg. No. 57(43)2004

प्रमाणित

03/02/2023

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ–पत्र

मै शपथी रविन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह नि0 ग्राम मारूफपुर पो0 मोहम्मदपुर तह0 हैदरगढ़ जनपद–बाराबंकी उ0 प्र0 का हूं सशपथ पूर्वक बयान करता हूं–

धारा– यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है

धारा–2 यह कि शपथी की माता कुँवरवती पत्नी स्व0 जय सिंह की मृत्यु 09–03–2022 को ब्लड कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा–3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी   शपथी

दिनांक 03–02–2023   ह0 रवीन्द्र सिंह

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता है कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। जिसका सत्यापन दिनांक 03–02–2023 को कचेहरी हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में किया गया है।

शपथी

ह0 रवीन्द्र सिंह

(28)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES ₹.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELLED

समक्ष: श्रीमान सक्षम अधिकारी महोदय

71AE 012200

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOTARY Teh Haidergarh Barabanki

शपथपत्र

मैं शपथी रविन्द्र सिंह पुत्र स्व० जय सिंह नि० ग्राम महमूदपुर पो० मोहम्मदपुर त० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उ०प्र० का हूँ शपथपूर्वक बयान करता हूँ।

धारा-1 यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है।

धारा-2 यह कि शपथी के पिता जय सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह की मृत्यु दिनांक: 2/8/2020 को blood कैंसर के कारण हो गई है।

धारा-3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी

दिनांक 04-02-23

शपथी

रविन्द्र सिंह

सत्यापन

मैं शपथी स्वयं सत्यापित करता हूँ कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है जिसका सत्यापन दिनांक 04-02-2023 को कचेहरी हैदरगढ़ बाराबंकी

शपथी

रविन्द्र सिंह

NOTARY Ram Pratap Singh Teh. Haidergarh District Barabanki Reg. No. 57(43)/2014 ... UP

शपथ प्रमाणित

04/02/2023

(29)

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ–पत्र

मै शपथी रविन्द्र सिंह पुत्र जय सिंह नि0 ग्राम मारूफपुर पो0 मोहम्मदपुर तह0 हैदरगढ़ जनपद–बाराबंकी उ0 प्र0 का हूं सशपथ पूर्वक बयान करता हूं–

धारा– यह कि शपथी उपरोक्त पते का मूल निवासी है

धारा–2 यह कि शपथी के पिता जय सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह की मृत्यु दिनांक 02–8–2020 को ब्लड कैंसर के कारण हो गयी है।

धारा–3 यह कि शपथी द्वारा प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी सत्य व सही है।

बाराबंकी

दिनांक 04–02–2023

शपथी

ह0 रवीन्द्र सिंह

सत्यापन

मै, शपथी सत्यापित करता है कि धारा 1 ता 3 मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। जिसका सत्यापन दिनांक 03–02–2023 को कचेहरी हैदरगढ़ जिला बाराबंकी में किया गया है।

शपथी

ह0 रवीन्द्र सिंह

NOTARY Ram pratap Singh Teh. Haidergarh D. Barabanki Reg. No. 67(43)/2013 GOVT. OF U.P.

ANNEXURE NO. SA-4

(30)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES 10

INDIA FIVE RUPEES NOTARIAL

CANCELED

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

समक्ष श्रीमान सहायक अधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AE 035803

NOTARY
Teh Haidergarh
Barabanki

शपथ पत्र

मैं वीरेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व० तेज बली सिंह निवासी ग्राम माधवपुर पो० त० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी निम्न प्रकार से सशपथ बयान करता हूँ —

धारा 1. यह कि शपथकर्ता के ग्राम माधवपुर में राकेश कुमार वर्मा पुत्र राम सजीवन निवासी मसकापुर (तेलवारा) पो० त० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा आबादी व बाग से 200 मीटर की परिधि में गड्ढा उत्खनन किया जा रहा है।

धारा 2. यह कि उपरोक्त राकेश कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थी की बाग के बगल की मिट्टी की खनन का कार्य नियम विरुद्ध तरीके से किया गया तथा लगभग तीन मीटर मिट्टी खुदाई की गई जिसकी वजह से प्रार्थी की बाग में लगे आम व शीशम के पेड़ की जड़ें बाहर निकल आने की वजह से पेड़ सूख गये।

धारा 3. यह कि आबादी से 200 मीटर की परिधि के गड्ढे के खनन की वजह से ग्रामवासियों में गंभीर बीमारियां हो रही हैं तथा बगल में लगे पेड़ भी सूख रहे हैं।

शपथकर्ता

वीरेन्द्र बहादुर सिंह

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 ता 3 को अक्षरशः सत्यापित करता हूँ जिसका सत्यापन आज दिनांक 03.01.2023 को कचेहरी हैदरगढ़ में किया गया।

NOTARY
Ram pratap Singh
Teh. Haidergarh
D.Street Barabanki
Reg. No.67443/2014
GOVT. OF

Signature Identify

शपथकर्ता वीरेन्द्र बहादुर सिंह

(31)

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ-पत्र

मै वीरेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 तेजबली सिंह निवासी ग्राम मारूफपुर पर0 तह0 हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी निम्न प्रकार से सशपथ बयान करता हूं-

धारा-1 यह कि शपथकर्ता के ग्राम मारूफपुर मे राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामशंकर निवासी जसकापुर (तेजवापुर) पर0 तह0 हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी द्वारा आबादी व बाग से 200 मीटर की परिधिम में भट्ठा व्यवसाय किया जा रहा है।

धारा-2 यह कि उपरोक्त राजेश कुमार वर्मा द्वारा प्रार्थी की बाग के बगल की मिट्टी की खनन का कार्य नियम विरूद्ध तरीके से किया गया तथा लगभग तीन मीटर मिट्टी खुदाई की गई जिसकी वजह से प्रार्थी की बाग मे लगे आम व शीशम के पेड़ की जड़े बाहर निकल आने की वजह से पेड़ सूख गये।

धारा-3 यह कि आबादी से 200 मीटर की परिधि मे भट्ठे के प्रदूषण की वजह से ग्राम वासियों में गम्भीर बीमारियां हो रही है तथा बगल में लगे पेड़ भी सूख रहे है।

शपथकर्ता

ह0 बीरेन्द्र बहादुर सिंह

सत्यापन

मै, शपथकर्ता शपथ-पत्र की धारा 1 ता 3 का अक्षरशः सत्यापन करता हूं जिसका सत्यापन आज दिनांक 03-02-23 को कचेहरी हैदरगढ़ में किया गया।

Ram pratap Singh Teh.Haidargarh D.Sirict Barabanki Reg. No.67(43)/2014 GOVT.OF U.P.

शपथकर्ता

ह0 बीरेन्द्र बहादुर सिंह

R.P.Singh

80 (32)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10 TEN RUPEES Rs.10

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AE 012204

समक्ष - श्रीमान खनन अधिकारी

NOTARY
Teh Haidergarh
Barabanki

शपथपत्र

मैं विश्वजीत सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व० तेजबली सिंह निवासी ग्राम माधवपुर प० तह० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं निम्न प्रकार से सशपथ बयान करता हूं -

धारा 1. यह कि शपथकर्ता के ग्राम माधवपुर के राजेश कुमार वर्मा पुत्र रविशंकर वर्मा निवासी जसकापुर (तेलवापुर) प० तह० हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा भट्ठा लगाकर ईंट भट्ठे का व्यवसाय किया जा रहा है।

धारा 2. यह कि भट्ठा मालिक द्वारा प्रार्थी की बाग के बगल में मिट्टी का खनन नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 3 मीटर की गहराई में खुदाई करके किया गया है जिसकी वजह से बाग में लगे आम, शीशम के पेड़ों की जड़ें बाहर निकल आई और भट्ठे की दूरी 200 मीटर दूर होने की वजह से पेड़ प्रदूषण की वजह से सूख गये हैं।

धारा 3. यह कि बाग के बगल की अनियमित खुदाई की वजह से पेड़ भी सूख गई तथा प्रदूषण की वजह से ग्रामीण भी बीमार हो रहे हैं।

शपथकर्ता
विश्वजीत सिंह

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपत्र की धारा 1 ता 3 का अक्षरशः सत्यापन करता हूं जिसका सत्यापन आज दिनांक 03.02.23 को कचेहरी हैदरगढ़ में किया गया।

NOTARY Ram Pratap Singh Teh. Haidergarh D. Barabanki Reg. No. ... GOVT. OF UP

Signature Identified

शपथकर्ता विश्वजीत सिंह

33

Type copy of Annexure No.

समक्ष श्रीमान सक्षम अधिकारी

शपथ-पत्र

मै विश्वजीत सिंह उम्र 45 वर्ष पुत्र स्व0 तेजबली सिंह निवासी ग्राम मारूफपुर पर0 तह0 हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी उत्तर प्रदेश का निवासी हूं निम्न प्रकार से सशपथ बयान करता हूं-

धारा-1 यह कि शपथकर्ता के ग्राम मारूफपुर मे राजेश कुमार वर्मा पुत्र रामशंकर वर्मा निवासी जसकापुर (तेजवापुर) पर0 तह0 हैदरगढ़ जनपद-बाराबंकी द्वारा भट्ठा लगाकर / ईंट भट्ठे का व्यवसाय किया जा रहा है।

धारा-2 यह कि भट्ठा मालिक द्वारा प्रार्थी की बाग के बगल में मिट्टी का खनन नियम विरुद्ध तरीके से लगभग 3 मीटर की गहराई में खुदाई करके किया गया है जिसकी वजह से बाग में लगे आम, शीशम के पेड़ो की जड़े बाहर निकल आई और भट्ठे की दूरी 200 मीटर दूर होने की वजह से पेड़ प्रदूषण की वजह से सूख गये है।

धारा-3 यह कि बाग के बगल की अनियमित खुदाई की वजह से मेड़ भी सूख गई तथा प्रदूषण की वजह से ग्रामीण भी बीमार हो रहे है।

शपथकर्ता

ह0 विश्वजीत सिंह

सत्यापन

मै, शपथकर्ता शपथ-पत्र की धारा 1 ता 3 का अक्षरशः सत्यापन करता हूं जिसका सत्यापन आज दिनांक 03-02-23 को कचेहरी हैदरगढ़ में किया गया।

NOTARY
Ram pratap Singh
Teh. Haidergarh
District Barabanki
Reg. No. 67(43)/2014
GOVT. OF U.P.

शपथकर्ता

ह0 विश्वजीत सिंह

R.P. Singh

ANNEXURE NO. SH-5

(34)

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

[illegible] संख्या:- 40017621020218

[illegible] का विवरण

[illegible]	शिवशरण मिश्रा	पिता/पति का नाम	स्व0 शिवबालक मिश्रा
[illegible]	9889582556	मोबइल नंबर(२)	
[illegible]		ई-मेल	
	ग्राम- मारूफ पुर , ग्राम पंचायत - मारूफ पुर , ब्लाक - त्रिवेदीगंज , तहसील - हैदरगढ़ , जिला - बाराबंकी		

[illegible] पत्र का ब्यौरा

[illegible] का संक्षिप्त [illegible]	लेखपाल द्वारा लगाई गई जॉच के सम्बन्ध में।		
[illegible]	18-06-2021	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	40017621016453,40017621018352
[illegible]	राजस्व एवं आपदा विभाग	शिकायत श्रेणी	अन्य प्रकरण

[illegible] का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

[illegible] का पता	राजस्व ग्राम- मारूफ पुर, ग्राम पंचायत- मारूफ पुर, विकास खण्ड- त्रिवेदीगंज, तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी

S.B. Singh

सेवा में
श्री मान जिलाधिकारी महोदय
बाराबंकी

35

विषय– लेखपाल द्वारा लगाई गई जाँच के सम्बन्ध में,

महोदय,

निवेदन है कि मै प्रार्थी शिवशरण मिश्र पुत्र स्व0शिवबालक मिश्र निवासी ग्राम–मारूफपुर परगना व तहसील हैदरगढ़, जिला– बाराबंकी, प्रार्थी भू माफिया भट्टा मालिक वर्तमान प्रधान मारूफपुर व एस.डी.एम. महोदय, लेखपाल द्वारा भूमाफिया के धर पर बैठकर रिपोर्ट बनाई गई है जो कि इस फोटो में साफ दिख रहा है जिसमें भू–माफिया, लेखपाल, व एस.डी.एम. महोदय की पूरी मिली भगत से यह आख्या प्रेषित की गई है इसलिये मै शिवशरण मिश्र इस आख्या से संतुष्ट नहीं हूँ

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि किसी अन्य अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष जाँच कराने की कृपा की जायें।

महान दया होगी।

दिनांक 18/6/2021

प्रार्थी
शिवशरण मिश्र
शिवशरण मिश्र
(पुत्र स्व0 शिवबालक मिश्र)
ग्राम–मारूफपुर थाना–लोनीकटरा
परगना व तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी
मो0–9889582556

S.P. Singh

शिकायत संख्या — 40017621016483, 40017621018352

आवेदक का नाम व पता — शिवप्रताप सिंह पुत्र शिव बालक सिंह ग्राम अमानगंज पायागाँव तहसील कैसरगंज जिला बहराइच

जाँच अधिकारी का नाम व पद — शिवलाल सिंह लेखपाल

कृत कार्यवाही —

महोदय,

आवेदक शिवप्रताप सिंह पुत्र शिव बालक सिंह नि० अमानगंज पायागाँव तहसील कैसरगंज जिला बहराइच के संलग्न प्रार्थना पत्र की स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच की गयी। बाद जाँच ज्ञात हुआ कि ग्राम अमानगंज के खतौनी अभिलेखों में गाटा सं० 305/0.218 हे० भूमि आवेदक के नाम दर्ज सह खातेदार के रूप में अंकित है। उक्त भूमि पर आवेदक की [illegible] पर [illegible] [illegible] है। उक्त भूमि की पूरब दिशा में संलग्न गाटा सं० 302/0.277 हे० सिंह जो दिनेश सिंह उर्फ लाला सिंह पुत्र राम कान्त सिंह आदि के नाम खतौनी में अंकित है। गाटा सं० 302 की पूरबी दिशा में संलग्न गाटा सं० 297/0.039 हे० अभिलेखों में चकमार्ग अंकित है। गाटा सं० 302 के खातेदारों द्वारा भट्ठा मालिक राजेश कुमार [illegible] के हाथ मिट्टी खुदाई हेतु किराये पर दिया था। उपरोक्त राजेश कुमार द्वारा उक्त गाटा सं० 302 में 2 मी० गहरी खुदाई की गयी है। स्थलीय जाँच में पाया गया कि शिकायतकर्ता के खेत में स्थित कोठरी व कोठरी क्षतिग्रस्त नहीं हुई है किन्तु बरसात में उक्त चकमार्ग के किनारे की मिट्टी कुछ स्थानों पर बह गयी है जिसे भट्ठा मालिक द्वारा कहा गया है कि वह उक्त चकमार्ग की मरम्मत/भराई करा दी जायेगी।

जाँच आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

ह० (लेखपाल)
9/6/2021

प्रेषित,

लेखपाल आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

ह०
R.K.
10/06/2021

Ayadav

E Singh.

Scanned with CamScanner

(37)

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय,

जिला–बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

विषयः– सरकारी चकमार्ग की खुदाई करके भट्ठा मालिक द्वारा किये गये अतिक्रमण को पुनः बनवाये जाने के सम्बन्ध में:–

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी शिवशरन मिश्रा पुत्र शिवबालक निवासी– ग्राम मारूफपुर, पोस्ट–मोहम्मदपुर (त्रिवेदीगंज) तहसील– हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी का निवासी है, प्रार्थी द्वारा उक्त विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक– 18.06.2021 को दिया गया था जिसमें कि यह सरकारी चकरोड हुआ करता था जो कि पूरी तरह से अब खोद दिया गया है, और चकरोड समाप्त कर दिया गया है। जब प्रार्थी ने लेखपाल महोदय से रिपोर्ट मांगी तो उन्होने रिपोर्ट ही बदल डाली प्रार्थी ने जनसुनवाई पोर्टल पर क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा गलत रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। जिसमें कि 3.5 मीटर चकरोड अंकित है। जबकि मौके पर 2 मीटर पाया गया बाकी का भट्ठा मालिक द्वारा मिट्टी काटकर कब्जा कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा जनसुनवाई पोर्टल जिसकी संख्या– 40017621020218 है। पर आज के दिनांक तक कोई कार्यवाही नही हुई है। और मिट्टी की खुदाई भट्ठा मालिक

S Singh

30

राजेश वर्मा द्वारा लगातार करवाई जा रही है। जिसमें प्रार्थी के खेत में ट्रैक्टर व अन्य कृषि यन्त्र ले जाने के लिये सारे रास्ते खत्म किये जा चुके है। प्रार्थी पूरी तरह से क्षुब्ध और लाचार हो चुका है एवं श्रीमान् जी प्रार्थी आपसे उचित कार्यवाही की अपेक्षा रखता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रकरण की जांच कराकर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक–
02/02/2023

प्रार्थी
शिवशरन मिश्रा

(शिवशरन मिश्रा)
पुत्र शिवबालक
निवासी– ग्राम मारूफपुर,
पोस्ट–मोहम्मदपुर (त्रिवेदीगंज)
तहसील–हैदरगढ़, जिला–बाराबंकी।

<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
भारतीय डाक
India Post

EU907783616IN IVR:6985907783616
SP H C BENCH SO <226010>
Counter No:1,02/02/2023,12:22
To:JILA ADHIKARI BBK.,
PIN:225001, Barabanki HO
From:SHIV SHARAN..
Wt:20gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
ck on www.indiapost.gov.in>
भारतीय डाक

S.P. Singh

(39)

HIGH COURT LUCKNOW

(Pt. S. Chandra)
Gen. Secretary